



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258397
CG-DL-E-01112024-258397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4398]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/ कार्तिक 8, 1946

No. 4398]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/ KARTIK 8, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2024

का.आ. 4775(अ).— केन्द्र सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए, दो अधिक आयामी खेपों का कांडला पोर्ट से आईओसीएल, पानीपत, हरियाणा, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में दो अधिक आयामी खेपों के परिवहन के लिए, मैसर्स टोयो इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण सं.	मेक
1	एपी-35बी-1577	वाॅल्वो(400 एचपी)
2	एपी-31टीबी-6596	वाॅल्वो(400 एचपी)

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण सं.	मेक
3	एपी-31टीई-6477	वाँल्वो(एचपी 400)
4	एचआर-55जी-6419	वाँल्वो(एचपी 520)
5	एचआर-55एच-2992	वाँल्वो(एचपी 520)
6	एचआर-55के-3939	वाँल्वो(एचपी 520)
7	एचआर-55क्यू-2470	वाँल्वो(एचपी 520)
8	एचआर-55क्यू-2494	वाँल्वो(एचपी 520)
9	एचआर-55एन-5243	वाँल्वो(एचपी 520)
10	एचआर-55एन-5244	वाँल्वो(एचपी 520)
11	केए-01एएम-7044	स्कैनिया-जी500
12	जीजे-12एयू-9693	वाँल्वो(एचपी 520)
13	जीजे-12एयू-9639	वाँल्वो(एचपी 520)
14	एमएच-46बीबी-0355	वाँल्वो(एचपी 520)
15	एमएच-46बीबी-0356	वाँल्वो(एचपी 520)
16	एनएएल-01एए-0870	वाँल्वो(एचपी 440)
17	एमएच-06एक्यू-6150	वाँल्वो(एचपी 520)
18	एनएएल-01एए-0866	वाँल्वो(एचपी 440)
19	एनएएल-01एए-0868	वाँल्वो(एचपी 440)
20	एनएएल-01एडी-4120	वाँल्वो(एचपी 420)
21	एनएएल-01एडी-4121	वाँल्वो(एचपी 420)
22	एनएएल-01एडी-4122	वाँल्वो(एचपी 420)
23	एनएएल-01एडी-4124	वाँल्वो(एचपी 420)
24	एमएच-46एएफ-3800	वाँल्वो(एचपी 400)
25	एमएच-55पी-5180	वाँल्वो(एचपी 400)
26	एमएच-06एक्यू-9199	वाँल्वो(एचपी 490)
27	एनएएल-01जी-0322	वाँल्वो(एचपी 400)
28	जीजे-12एयू-8588	वाँल्वो(एचपी 400)
29	जीजे-12बीजेड-4944	वाँल्वो(एचपी 500)
30	जीजे-12बीवाई-0452	वाँल्वो(एचपी 460)
31	जीजे-12बीडब्ल्यू-8980	वाँल्वो(एचपी 460)
32	जीजे-12-एजेड-8658	वाँल्वो(एचपी 400)
33	जीजे-27-टीटी-7621	वाँल्वो(एचपी 520)
34	एमएच-06-एसी-8789	वाँल्वो(एचपी 400)
35	जीजे-16एडब्ल्यू-4181	वाँल्वो(एचपी 520)
36	जीजे-16एडब्ल्यू-4245	वाँल्वो(एचपी 520)

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण सं.	मेक
37	जीजे-16एडब्ल्यू-4472	वाॅल्वो(एचपी 520)
38	एपी-31टीबी-6977	वाॅल्वो(एचपी 520)

3. उपरोक्त गतिविधियों में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलर्स की पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की सं.	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1	एपी-31-टीबी-6592	गोल्डहोफर	4	104
2	एपी-31-टीबी-6593	गोल्डहोफर	4	104
3	एपी-31-टीबी-6594	गोल्डहोफर	4	104
4	एपी-31-टीबी-6595	गोल्डहोफर	6	156
5	एपी-31-टीबी-6596	गोल्डहोफर	6	156
6	एचआर-55क्यू-9901	गोल्डहोफर	6	156
7	एचआर-55क्यू-9902	गोल्डहोफर	8	208
8	एचआर-55क्यू-9903	गोल्डहोफर	6	156
9	एचआर-55क्यू-9904	गोल्डहोफर	8	208
10	एचआर-55पी-6278	गोल्डहोफर	6	156
11	एचआर-55पी-6279	गोल्डहोफर	4	104
12	एचआर-55पी-6281	गोल्डहोफर	4	104
13	एचआर-55पी-6280	गोल्डहोफर	6	156
14	एचआर-55पी-6282	गोल्डहोफर	8	208
15	एचआर-55एएल-2610	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
16	एचआर-55एएल-1865	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
17	डीडी-01एल-9685	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
18	डीडी-01एम-9065	कमाग	6	156
19	डीडी-01एल-9636	कमाग	6	156
20	डीडी-01एल-9092	कमाग	6	156s
21	डीडी-01एल-9452	कमाग	6	156
22	डीडी-01एल-9085	कमाग	6	156
23	डीडी-01एल-9276	कमाग	6	156
24	डीडी-01एल-9048	कमाग	6	156
25	डीडी-01एल-9784	कमाग	6	156
26	एचआर-39डी-0420	वीएमटी	4	104
27	एचआर-55पी-9442	वीएमटी	4	104
28	एचआर-55क्यू-8162	वीएमटी	4	104
29	एचआर-39डी-3510	वीएमटी	2	52
30	एचआर-39डी-1662	वीएमटी	6	156
31	एचआर-39डी-9464	वीएमटी	4	104
32	एचआर-55पी-9445	वीएमटी	2	52

क्र. सं.	ट्रेलर्स की पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की सं.	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
33	एचआर-55टी-3219	वीएमटी	6	156
34	एचआर-39डी-4216	वीएमटी	6	156
35	एचआर-55क्यू-8163	वीएमटी	6	156
36	एचआर-39ई-0510	टी॥	4	104
37	एचआर-39ई-7623	टी॥	4	104
38	एचआर-39ई-8531	टी॥	6	156
39	एचआर-39ई-5643	टी॥	2	52
40	एचआर-39ई-6308	टी॥	6	156
41	एचआर-39ई-5668	टी॥	6	156
42	एचआर-39ई-5748	टी॥	4	104
43	एचआर-39ई-2045	टी॥	6	156
44	एचआर-39ई-1549	टी॥	6	156
45	एचआर-39ई-8059	टी॥	6	156
46	एचआर-55एजे-0038	टी॥	6	156
47	एचआर-55एएल-0038	टी॥	6	104
48	एचआर-55एएन-0038	टी॥	4	156
49	एचआर-55एबी-0038	टी॥	4	156
50	एचआर-55एसी-0038	टी॥	4	156
51	एचआर-55एडी-0038	टी॥	4	156
52	एचआर-55एई-0038	टी॥	6	104
53	जीजे-12-एयू-8365	गोल्डहोफर	6	156
54	जीजे-12-एयू-8368	गोल्डहोफर	6	156
55	जीजे-12-एयू-8364	गोल्डहोफर	4	104
56	जीजे-12-एयू-8367	गोल्डहोफर	4	104
57	एचआर-38एडी-3231	टी॥	6	156
58	एचआर-38एडी-3321	टी॥	4	104
59	एचआर-38एडी-5751	टी॥	4	104
60	एचआर-38एडी-6111	टी॥	6	156
61	एचआर-38एडी-6651	टी॥	4	104
62	एचआर-38एडी-7011	टी॥	4	104
63	एचआर-38एडी-7551	टी॥	6	156
64	एचआर-38एडी-7731	टी॥	4	104
65	एचआर-38एडी-9531	टी॥	4	104
66	एचआर-38एडी-6561	टी॥	6	156
67	एचआर-55एएल-2482	वीएमटी	4	104
68	एचआर-55एएल-5567	वीएमटी	4	104
69	जीजे-12बीजेड-8483	वीएमटी	4	104
70	जीजे-12बीजेड-6289	वीएमटी	4	104

क्र. सं.	ट्रेलर्स की पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की सं.	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
71	एचआर-38ईई-9822	टी॥ यूएचडी स्पिलट	4	104
72	एचआर-38ईई-6367	टी॥ यूएचडी स्पिलट	6	156
73	एचआर-38एएफ-1243	गोल्डहोफर	4	104
74	एचआर-38एएफ-2618	गोल्डहोफर	6	156
75	एचआर-38एबी-4422	टी॥ एचडी	4	104
76	एचआर-38एबी-9745	टी॥ एचडी	6	156
77	एचआर-38जेड-7506	टी॥ एचडी	6	156
78	एचआर-38जेड-5114	टी॥ एचडी	4	104
79	जीजे-12बीवाई-3649	वीएमटी	4	104
80	जीजे-12बीवाई-3704	वीएमटी	4	104
81	जीजे-12बीवाई-6452	वीएमटी	4	104
82	जीजे-12बीवाई-9024	वीएमटी	4	104
83	जीजे-12बीजेड-0212	वीएमटी	6	156
84	जीजे-12बीजेड-0608	वीएमटी	6	156

4. यान और विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा:-

क्र.सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
						लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई	लं (मी)	चौ. (मी)	
1	बीजीओ रिएक्टर (सेक्शन-1)	168.0	756	924	19.25	25.60	8.00	7.70	24+24 धुरी पंक्तियां (48 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		182.0	756	938	18.04	25.60	8.00	7.70	26+26 धुरी पंक्तियां (52 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
2	बीजीओ रिएक्टर (सेक्शन-2)	168	796	964	20.08	25.44	7.70	7.20	24+24 धुरी पंक्तियां (48 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		182	796	978	18.81	25.44	7.70	7.20	26+26 धुरी पंक्तियां (52 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

i. उपरोक्त अधिक आयामी खेपों का परिवहन, विशिष्ट मार्ग कांडला/मुंद्रा बंदरगाह से आईओसीएल, पानीपत, हरियाणा तक, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

कांडला बंदरगाह (पश्चिमी द्वार) - मोदवदर गांव - जवाहर नगर - पदाना गांव - वरसाणा गांव - गोकुलगांव - पुरानी चिराई - मोती चिराई - चोपड़वा गांव - भचाऊ - वोंध गांव - छड़वाड़ा - सामाखियाली लकड़िया-खोडासर -मेवासा- गगोदर - मानगढ़ - पलासवा- माखेल गांव - बामनसर गांव-आदेसर पुलिस चेक पोस्ट - पिपराला पुलिस चेक पोस्ट - संतलपुर - पार गांव - सुइगाम गांव - देवपुरा गांव - वाव गांव- खानपुर-थराद-खोड़ा गांव-गरदली सीमा राजस्थान- सांचौर शहर - गंधव खुर्द - बोरीगांव - रामजी का गोल - डेम की ढाणी - नया नगर - भाटला गांव - पायला गांव - अमरपुरा - सिणधरी - कालूडी गांव - टापरा गांव - असाड़ा गांव - बालोतरा बाइपास - पचपदरा, राजस्थान - देचू - फलौदी - बाप - कोलायत - बीकानेर बाइपास - श्री डुंडागढ़ - सवाई बाड़ी - सरदार शहर -तारानगर-सादुलपुर- सिवनी - चुधारीवास - मुकलान - हिसार बाईपास - बरवाला बाईपास - सुरेवाला चौक -नरवाना - जिंद बाईपास- नागूरां - अलेवा - बाहरी - असंध बाईपास - दुपेडी - सालवान - बल्लाह - मुनक - आईओसीएल-पानीपत, हरियाणा (1320 किलोमीटर)

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड राज्य में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2024

S.O. 4775 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of two over dimensional consignments from Kandla Port to IOCL- Panipat, Haryana by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s PRISM logistics Private Limited is the transporter of M/s Toyo Engineering India Private Limited, for transportation of two over dimensional consignments for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	AP-35V-1577	Volvo (400 HP)
2	AP-31TB-6596	Volvo (400 HP)

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
3	AP-31TE-6477	Volvo (HP 400)
4	HR-55G-6419	Volvo (HP 520)
5	HR-55H-2992	Volvo (HP 520)
6	HR-55K-3939	Volvo (HP 520)
7	HR-55Q-2470	Volvo (HP 520)
8	HR-55Q-2494	Volvo (HP 520)
9	HR-55N-5243	Volvo (HP 520)
10	HR-55N-5244	Volvo (HP 520)
11	KA-01AM-7044	SCANIA-G500
12	GJ-12AU-9693	Volvo (HP 520)
13	GJ-12AU-9639	Volvo (HP 520)
14	MH-46BB-0355	Volvo (HP 520)
15	MH-46BB-0356	Volvo (HP 520)
16	NL-01AA-0870	Volvo (HP 440)
17	MH-06AQ-6150	Volvo (HP 520)
18	NL-01AA-0866	Volvo (HP 440)
19	NL-01AA-0868	Volvo (HP 440)
20	NL-01AD-4120	Volvo (HP 420)
21	NL-01AD-4121	Volvo (HP 420)
22	NL-01AD-4122	Volvo (HP 420)
23	NL-01AD-4124	Volvo (HP 420)
24	MH-46AF-3800	Volvo (HP 400)
25	MH-55P-5180	Volvo (HP 400)
26	MH-06AQ-9199	Volvo (HP 490)
27	NL-01G-0322	Volvo (HP 400)
28	GJ-12AU-8588	Volvo (HP 400)
29	GJ-12BZ-4944	Volvo (HP 500)
30	GJ-12BY-0452	Volvo (HP 460)
31	GJ-12BW-8980	Volvo (HP 460)
32	GJ-12-AZ-8658	Volvo (HP 400)
33	GJ-27-TT-7621	Volvo (HP 520)
34	MH-06-AC-8789	Volvo (HP 400)
35	GJ-16AW-4181	Volvo (HP 520)
36	GJ-16AW-4245	Volvo (HP 520)

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
37	GJ-16AW-4472	Volvo (HP 520)
38	AP-31TB-6977	Volvo (HP 520)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1	AP-31-TB-6592	Goldhofer	4	104
2	AP-31-TB-6593	Goldhofer	4	104
3	AP-31-TB-6594	Goldhofer	4	104
4	AP-31-TB-6595	Goldhofer	6	156
5	AP-31-TB-6596	Goldhofer	6	156
6	HR-55Q-9901	Goldhofer	6	156
7	HR-55Q-9902	Goldhofer	8	208
8	HR-55Q-9903	Goldhofer	6	156
9	HR-55Q-9904	Goldhofer	8	208
10	HR-55P-6278	Goldhofer	6	156
11	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
12	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
13	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
14	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
15	HR-55AL-2610	Goldhofer SPMT	6	156
16	HR-55AL-1865	Goldhofer SPMT	6	156
17	DD-01L-9685	Goldhofer SPMT	6	156
18	DD-01M-9065	KAMAG	6	156
19	DD-01L-9636	KAMAG	6	156
20	DD-01L-9092	KAMAG	6	156s
21	DD-01L-9452	KAMAG	6	156
22	DD-01L-9085	KAMAG	6	156
23	DD-01L-9276	KAMAG	6	156
24	DD-01L-9048	KAMAG	6	156
25	DD-01L-9784	KAMAG	6	156
26	HR-39D-0420	VMT	4	104
27	HR-55P-9442	VMT	4	104
28	HR-55Q-8162	VMT	4	104
29	HR-39D-3510	VMT	2	52
30	HR-39D-1662	VMT	6	156
31	HR-39D-9464	VMT	4	104
32	HR-55P-9445	VMT	2	52
33	HR-55T-3219	VMT	6	156
34	HR-39D-4216	VMT	6	156
35	HR-55Q-8163	VMT	6	156
36	HR-39E-0510	TII	4	104
37	HR-39E-7623	TII	4	104
38	HR-39E-8531	TII	6	156
39	HR-39E-5643	TII	2	52
40	HR-39E-6308	TII	6	156
41	HR-39E-5668	TII	6	156

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
42	HR-39E-5748	TII	4	104
43	HR-39E-2045	TII	6	156
44	HR-39E-1549	TII	6	156
45	HR-39E-8059	TII	6	156
46	HR-55AJ-0038	TII	6	156
47	HR-55AL-0038	TII	6	104
48	HR-55AN-0038	TII	4	156
49	HR-55AB-0038	TII	4	156
50	HR-55AC-0038	TII	4	156
51	HR-55AD-0038	TII	4	156
52	HR-55AE-0038	TII	6	104
53	GJ-12-AU-8365	Goldhofer	6	156
54	GJ-12-AU-8368	Goldhofer	6	156
55	GJ-12-AU-8364	Goldhofer	4	104
56	GJ-12-AU-8367	Goldhofer	4	104
57	HR-38AD-3231	TII	6	156
58	HR-38AD-3321	TII	4	104
59	HR-38AD-5751	TII	4	104
60	HR-38AD-6111	TII	6	156
61	HR-38AD-6651	TII	4	104
62	HR-38AD-7011	TII	4	104
63	HR-38AD-7551	TII	6	156
64	HR-38AD-7731	TII	4	104
65	HR-38AD-9531	TII	4	104
66	HR-38AD-6561	TII	6	156
67	HR-55AL-2482	VMT	4	104
68	HR-55AL-5567	VMT	4	104
69	GJ-12BZ-8483	VMT	4	104
70	GJ-12BZ-6289	VMT	4	104
71	HR-38AE-9822	TII UHD Split	4	104
72	HR-38AE-6367	TII UHD Split	6	156
73	HR-38AF-1243	Goldhofer	4	104
74	HR-38AF-2618	Goldhofer	6	156
75	HR-38AB-4422	TII HD	4	104
76	HR-38AB-9745	TII HD	6	156
77	HR-38Z-7506	TII HD	6	156
78	HR-38Z-5114	TII HD	4	104
79	GJ-12BY-3649	VMT	4	104
80	GJ-12BY-3704	VMT	4	104
81	GJ-12BY-6452	VMT	4	104
82	GJ-12BY-9024	VMT	4	104
83	GJ-12BZ-0212	VMT	6	156
84	GJ-12BZ-0608	VMT	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No	Consignment Name	Unladen Weight of axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
1	VGO REACTOR- (SECTION-1)	168.0	756	924	19.25	8.87	25.60	8.00	7.70	24+24 axle rows (equivalent to 48 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		182.0	756	938	18.04	8.87	25.60	8.00	7.70	26+26 axle rows (equivalent to 52 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
2	VGO REACTOR- (SECTION-2)	168	796	964	20.08	8.37	25.44	7.70	7.20	24+24 axle rows (equivalent to 48 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		182	796	978	18.81	8.37	25.44	7.70	7.20	26+26 axle rows (equivalent to 52 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of these over dimensional consignments will be from Kandla Port to IOCL- Panipat, Haryana by road through-
Kandla Port (West Gate) - Modvadar Village - Jawahar Nagar - Padana Village - Varsana Village - Gokulgaon - Old Chirai - Moti Chirai - Chopadva Village - Bhachau - Vondh Village - Chhadvada - Samakhiyali - Lakadia - Khodasar - Mevasa - Gagodar - Mangadh - Palasava - Makhel Village - Bamansar Village - Adesar Police Check Post - Piprala Police Check Post - Santalpur - Par Village - Suigam Village - Devapura Village - Vav Village - Khanpur - Tharad - Khoda Village - Gardali Border Rajasthan - Sanchore City - Gandhav Khurd - Borigaon - Ramji Ka Gol - Dame Ki Dhani - Naya Nagar - Bhatala Village - Payla Village - Amarpura - Sindhari - Kaludi Village - Tapara Village - Asada Village - Balotra Bypass - Pachpadra, Rajasthan - Dechu - Phalodi - Bap - Kolayat - Bikaner Bypass - Sri Dungargarh - Sawai Badi - Sardarshahar - Taranagar - Sadulpur - Siwani - Chudhariwas - Muklan - Hissar Bypass - Barwala Bypass - Surewala Chouk - Narwana - Jind Bypass - Naguran - Alewa - Bahri - Assandh Bypass - Dupedi - Salwan - Ballah - Munak - IOCL- Panipat, Haryana (1320 Kms)
- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s PRISM logistics Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected

- person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Nagaland.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/04/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.